फार्म सं. Form No.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 34(3) देखें)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY **RULES, 1972**

(See Rule 34(3))

संसाधन संयंत्र का पंजीकरण - प्रमाण-पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PROCESSING PLANTS

- पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या व तारीख Number and date of the Certificate of Registration
- जिस व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है उसका नाम Name of the person to whom the Certificate of registration is issued
- संसाधन संयंत्र का स्थान Location of the processing plant
- संसाधन संयंत्र का विवरण Details of the processing plant.
- जिन समुद्री उत्पादों का संसाधन किया जाना है उनके नाम Names of the marine products authorised to be processed

MA1/PP/054/21

19/03/2021

RIZWAN ICE & COLD STORAGE D-366, TTC IND. AREA, KUKSHET, MIDC, TURBHE NAVI MUMBAI/400706 MAHARASHTRA RIZWAN ICE & COLD STORAGE UNIT-II M-17, TALOJA M.I.D.C.,

VILLAGE: PALEKHURD

TALUKA: PANVEL/410208 Maharashtra

L:31.8m, B:21,2m, H:7m, Capacity:111MT;

IQF:10MT,TPF 90:26MT,Blast Freezer:75.2MT,

Frozen, Chilled,

स्थान Place' तारीख

MUMBAI

19/03/2021

Validity Upto: 18/03/2023

201104

प्रमाण-पत्र देनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the officer issuing the certificate

(प्राधिकरण की मोहर) (Seal of the Authority)

पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तें CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

- यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र 1972 के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जाता है। This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.
- नक्शा, डिज़ाईन, क्षमता या अन्य मामलों में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसके लिए प्राधिकरण की मंजरी लेना आवश्यक है। Any change in the lay-out, design or capacity or other matters should be got approved by the Authority.
- स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था निर्यात निरीक्षण एजेन्सी और प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले नियमों के 3. अनुसार होनी चाहिए।
 - The sanitary and hygienic requirements should conform to the regulations issued in this behalf by the Export Inspection Agency and the Authority from time to time.
- मालिक को समुद्री उत्पादों के परिरक्षण, संसाधन व भण्डारण के लिए केवल अनुमोदित रसायनों का ही उपयोग करना होगा। The owner should use only approved chemicals for preservation, processing and storage of marine products.
- मालिक को समय समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जानेवाले ऐसे अन्य अनुदेशों का भी पालन करना होगा। The owner shall also comply with such other instructions as may, from time to time, be issued by the Authority.